राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य सतर्कता आयुक्त
गृह (ग्रुप–11) विभाग

क्रमांक प.60(1) सी.वी.सी./2003 जयपुर, दिनांक 19.04.2005

प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार
2. समस्त शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्थान सरकार
3. समस्त विभागाध्यक्ष,राजस्थान
4. समस्त संभागीय आयुक्त,राजस्थान
5. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, रैंज, राजस्थान
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान
7. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, राजस्थान
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्थानीय नगरीय निकाय, राजस्थान

विषयः अभियोजन स्वीकृति दिये जाने के संबध में।

महोदय,

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 एवं दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 197 के अधीन कतिपय प्रकरणों में नियुक्ति अधिकारियों को अभियोजन स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता होती है। प्रायः यह देखने में आ रहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अभियोजन स्वीकृति के मामलों में अभियोजन स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारियों द्वारा अत्याधिक विलम्ब किया जाता है। इस कार्यालय के सम संख्यक परिपत्र दिनांक 27.2.2004 द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति के लिए प्रस्तुत ट्रेप के प्रकरणों में यदि अभियोजन स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा साक्ष्य के आधार पर प्रकरण प्रथम दृष्टया अभियोजन स्वीकृति योग्य पाया जाता है, तो उसमें तुरन्त अभियोजन स्वीकृति जारी कर देनी चाहिये जिससे कि अभियोग में न्यायालय द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जा सके। परन्तु यह देखने में आ रहा है कि अभियोजन स्वीकृति अधिकारी ऐसे प्रकरणों में आरोपित लोक सेवकों से अभ्यावेदन प्राप्त कर एवं पूरी जांच कार्यवाही कर निर्णय लेने की प्रक्रिया अपनाते हैं। ऐसा किया जाना न केवल विधिक मान्यता से भिन्न है अपितु इससे भ्रष्ट लोक सेवक को लाभ अपितु इससे भ्रष्ट लोक सेवक को लाभ पहुचता है।

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय मुख्य सर्तकता आयुक्त द्वारा अभियोजन स्वीकृति के मामलों क्रमांक 31/05/2005 दिनांक 12.05.2005 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जिन्हे संदर्भ हेतु इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। हातांकि केन्द्रीय मुख्य सर्तकता आयुक्त के दिशा निर्देश केन्द्रीय सरकार के अधीन अभियोजन स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारियों के लिये हैं परन्तु यह देखते हुए कि दिशा निर्देश में उन पहलुओं को

विधिक विवेचन है जो राज्य के अभियोजन स्वीकृति अधिकारी के लिये भी उपयोगी है केन्द्रीय मुख्य सर्तकता आयुक्त द्वारा जारी दिशा निर्देश संज्ञान एवं संदर्भ के लिए उपयोगी है। आपसे अपेक्षा है कि कृपया अभियोजन स्वीकृति के मामलों में निर्णय करते समय इस दिशा निर्देशों की भावना के अनुसार निर्धारित निम्न विन्दुओं को अवश्य ध्यान में रखें:-

1. अभियोजन स्वीकृति संबधी निर्णय लिये जाने में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित तीन महीने की समयावधि का किसी अपवाद अनुपालना की जावे।

2. अभियोजन स्वीकृति का निर्णय देते समय यह ध्यान में रखा जावे कि:-

(क). अभियोजन स्वीकृति एक प्रशासनिक कार्य हैं इसका उद्देश्य राज्य कर्मी को तुच्छ /ओछे (Frivolous or vexatious) अभियोजन के माध्यम से परेशान किये जाने से सुरक्षा प्रदान करना है, भ्रष्ट राज्य कर्मी को संरक्षण प्रदान करना नहीं।

(ख). अभियोजन स्वीकृति दिये जाने हेतु निणर्य लिए जाने के स्तर पर आरोपित लोक सेवक सुनवाई का मौका देने का प्रश्न नहीं उठता है। अभियोजन स्वीकृति अधिकारी को यह देखना होता है कि उसके समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं क्या उनसे प्रथम दृष्टयाः अपराध घटित होना पाया जाता है। अभियोजन स्वीकृति अधिकारी आरोपित लोक सेवक से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर प्रकरण के अनुसंधानकर्ता से टिप्पणी मांगने या अभ्यावेदन की पृष्ठ भूमि में पुनः अनुसधान करने या समीक्षा जॉच करने का कार्य नहीं कर सकते है।

(ग). जब किसी प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अधीन अनुसंधान किया जाता है तो अनुसंधान अधिकारी का प्रतिवेदन पुलिस महानिरीक्षक एवं तदन्तर मुख्य निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा परीक्षण करने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के विधि अधिकारी द्वारा भी विधिक दृष्टि से परखा जाता है। जब प्रकरण में विशेषज्ञ संस्था द्वारा अनुसंधान हुआ हो एवं उसका परीक्षण वरिष्ठ स्तरों पर किया गया हो तो ऐसी परिस्थितियों में निष्कर्षों से असहमत होने की सम्भावना अत्यल्प होती है एवं अभियोजन स्वीकृति नहीं देने का आधार बनना कठिन होता है।

(घ) आरोपित लोक सेवक को यह पूरी सुविधा उपलब्ध होती है कि जब अनुसंधान चल रहा हो तो वे अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। जब आरोपित लोक सेवक द्वारा दिये गये

अभ्यावेदन पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा विचारण कर लिया गया होता है तो अभियोजन स्वीकृति अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन या तदन्तर प्रस्तुत अन्य अभ्यावेदन पर अनुसंधान अधिकारी की टिप्पणी मांगा जाना आवश्यक नहीं रह जाता है।

(:) विधि में अनुसंधान पूरा होने के बाद अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि स्पष्ट विधि व्यवस्था यह है कि अभियोजन स्वीकृति बाबत सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हीं तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचार किया जावेगा जो अनुसंधान के दौरान संग्रहित होते है एवं जिन्हें सक्षम स्वीकृति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। परन्तु यदि किसी प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति अधिकारी उसके समक्ष उपलब्ध समस्त साक्ष्यों एवं दस्तावेजों में विचारण करने के बाद कोई शंका उत्पन्न करने वाला बिन्दु पाता है तो उसे अपनी शंका को स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए अभियोजन स्वीकृति के लिये आग्रह करने वाले से शंका समाधान चाहा जा सकता हैं। परन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि यह व्यवस्था अभियोजन स्वीकृति देने वाले अधिकारी द्वारा निर्णय लेने से पूर्व विचारण हेतु शंका निवारण के लिये हैं न कि इस प्रकार का स्पष्टीकरण चाहे जाने की अवधि में आरोपित लोक सेवक से अभ्यावेदन प्राप्त कर उस पर विचार करने हेतु। यदि अभियोजन स्वीकृति अधिकारी अनुसंधान अधिकारी की टिप्पणी मांगता है तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय सीमा के अन्दर प्रकरण में निर्णय लिया जाना लगभग असंम्भव होगा।

अतः यह अपेक्षित है कि अभियोजन स्वीकृति अधिकारी द्वारा कृपया उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखकर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा (तीन माह के अर्न्तगत) अभियोजन स्वीकृति के प्रस्तावों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को निर्णय प्रेषित करना सुनिश्चित करावें।

19.4.07

(वी.एस.सिंह)
प्रमुख शासन सचिव, गृह